

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर
कमांक : अराज/सामान्य/2019/526

दिनांक : 18/07/19

आदेश

निम्नलिखित कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक कारणों से उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार किया जाता है :-

क्र.	नाम कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान
1	सुरेश देवी, म.स्वा.कार्यकर्ता	उपकेन्द्र, खिचियासर, नोखा, बीकानेर	मेडिकल कॉलेज, बीकानेर नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पद के विरुद्ध
2	सरोज, म.स्वा.कार्यकर्ता	उपकेन्द्र, झेरली, सूरजगढ़, झुंझुनू	उपकेन्द्र, घुमनसर कलां, सूरजगढ़, झुंझुनू सुरेश कुमारी के स्थान पर
3	सुरेश कुमारी, म.स्वा.कार्यकर्ता	उपकेन्द्र, घुमनसर कलां, सूरजगढ़, झुंझुनू	उपकेन्द्र, झेरली, सूरजगढ़, झुंझुनू सरोज के स्थान पर
4	सुनीता यादव, म.स्वा.कार्यकर्ता	उपकेन्द्र, रामपुरिया भाटीयान, प्रा.स्वा.केन्द्र, कापरडा, बिलाडा, जोधपुर	मु.चि.एवं स्वा.अधि., अजमेर के अधीन रिक्त पद पर
5	निर्मला शर्मा, म.स्वा.कार्यकर्ता	एडपोस्ट झिरी, थानागाजी, अलवर	जिला चिकित्सालय, अलवर में नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पद के विरुद्ध
6	केशाराम भाम्बू, नर्स प्रथम	प्रा.स्वा.केन्द्र, जोधियासी, नागौर	प्रा.स्वा.केन्द्र, गंठीलासर, नागौर रिक्त पद पर
7	राजेश कुमार जाखड़, नर्स द्वितीय	सा.स्वा.केन्द्र, जायल, नागौर से सामा.चिकि., लाडनू, नागौर स्थानान्तरणाधीन	निरस्त कर यथावत सा.स्वा. केन्द्र, जायल, नागौर।

1. यदि कार्मिक का स्थानान्तरण रिक्त पद पर किया गया तथा उस संस्थान पर पद रिक्त नहीं है, तो कार्मिक को कार्यग्रहण नहीं करवाते हुये अविलम्ब निदेशालय हेतु कार्यमुक्त करें।
2. रिक्त पद पर किये गये स्थानान्तरण में किसी भी स्थिति में कार्मिक का समायोजन अन्य समकक्ष/उच्च रिक्त पद पर नहीं किया जायेगा।
उपरोक्त शर्तों (1 एवं 2) की पालना किये जाने का दायित्व कार्यमुक्त करने वाले/कार्यग्रहण कराने वाले अधिकारी का होगा।

-56/-
(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2019/526

दिनांक : 18/07/19

प्रतिलिपी निम्नलिखित का वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा.राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, राजस्थान।
5. संबंधित संभागीय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ।
6. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह, राजस्थान।
7. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
8. संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
9. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी।
10. संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
11. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
12. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर